<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा</u>

मु0अ0सं0—520/2022
जमानत प्रार्थनापत्र सं0—3747/2022
राज्य बनाम मानवेन्द्र गुर्जर

<u>21.10.2022</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—520/2022 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना वृन्दावन जिला मथुरा में अभियुक्त मानवेन्द्र गुर्जर द्वारा दौरान विवेचना/विचारण वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये थाने से आख्या प्राप्त न होने के कम में समय प्रदान किये जाने की याचना की गयी। अभियोजन को पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका है। आधार पर्याप्त नहीं हैं।

सुना गया एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग है कि अभियुक्त के कब्जे से एक अद्द नाजायज पिस्टल व एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर तथा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद हुये, जिन्हें रखने का उसके पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था।

अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुयी है, पुलिस द्वारा झूंठी बरामदगी दिखायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। संबंधित मु0अ0सं0—519/2022 धारा—399,401 भा0द0सं0 थाना वृन्दावन जिला मथुरा में उसकी जमानत स्वीकार हो चुकी है। वह सजाफ्यता नहीं है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

अभियुक्त दिनांक—29.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। थाने द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद भी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। संबंधित मु0अ0सं0—519/2022 धारा—399,401 भा0द0सं0 थाना वृन्दावन जिला मथुरा में अभियुक्त की जमानत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतैव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मानवेन्द्र गुर्जर का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(राकेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा
ID No. UP 1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2022.10.22 17:07:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court